

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार तिवारी,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

**विषय:-** नगर पंचायत, परसा बाजार में जल-जीवन-हरियाली मिशन अन्तर्गत कुल-02 तालाबों/पोखरों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल ₹93.41300 लाख (तिरानवे लाख एकतालीस हजार तीन सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल तत्काल राशि ₹40.00 लाख (चालीस लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

**आदेश:-** स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं०-187, दिनांक-20.01.2023 द्वारा नगर पंचायत, परसा बाजार में जल-जीवन-हरियाली मिशन अन्तर्गत तालाब के जीर्णोद्धार कार्य हेतु ₹93.41300 लाख (तिरानवे लाख एकतालीस हजार सात सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, परसा बाजार द्वारा निम्नलिखित योजना हेतु राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. नगर पंचायत, परसा बाजार द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित ₹93.41300 लाख (तिरानवे लाख एकतालीस हजार तीन सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल तत्काल राशि ₹40.00 लाख (चालीस लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रु० में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4		5	6
1	नगर पंचायत, परसा बाजार	Detail Estimate for beautification of pond Thana Campus at Nagar Panchayat, Parsa Bazar in Saran	44.94300	निविदा कर ली गई है।	20.00000	24.94300
2		Detail Estimate for beautification of Near Nagar Panchayat office pond at Nagar Panchayat, Parsa Bazar in	48.47000	36.64042	20.00000	16.64042
<b>कुल योग</b>			<b>93.41300</b>	<b>36.64042</b>	<b>40.00000</b>	<b>41.58342</b>

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹40.00 लाख (चालीस लाख रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-227, दिनांक-28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर पंचायत, परसा बाजार के PL खाता सं०- SRNPLA015, HOA संख्या-

00-8448-00-102-0003-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत कुल ₹40.00 लाख (चालीस लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48, नगर विकास एवं आवास विभाग मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति, लघु शीर्ष-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष-0102-जल-जीवन-हरियाली, विपत्र कोड-48-2215011930102, विषय शीर्ष-0102.31.05 सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

5. योजना का कार्यान्वयन ई०-टेंडरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम-431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार \*\*सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।\*\* राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 04/जल-जीवन-15-13/2025 के पृष्ठ सं०-11/टि० पर दिनांक-19.08.2025 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-22/टि० पर दिनांक-30.01.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-04/जल-जीवन-15-13/2025 487 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-10/2/26

प्रतिलिपि:- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, परसा बाजार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02, 04 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।